न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी–देवेन्द्र कुमार

आई०ए०एस०

निगरानी सं0 09/2022

कौशल्या देवी महावर पत्नि सूरजमल जाति महावर (कोली) निवासी सैंथल तहसील सैंथल जिला दौसा

.... निगरानीकार

बनाम

1. मन्ना देवी पत्नि देवाराम
2. कल्याण
3. बाबूलाल
4. मूलचन्द
5. अनिता
6. बाई

   पिसरान देवाराम जाति महावर (कोली) निवासी सैंथल नई आबादी तहसील सैंथल जिला दौसा
7. ग्राम पंचायत सैंथल जरिये सरपंच
8. सचिव, ग्राम पंचायत सैंथल

...गैरनिरानीकारान

निगरानी विरूद्ध पटटा व निर्णय दिनांक 21.10.1987 ग्राम पंचायत सैंथल पंचायत समिति दौसा बहक मृतक देवाराम पुत्र भोलाराम महावर निवासी सैंथल मिसल संख्या 287 दिनांक 25.9.1972

उपस्थितः 1. श्रीजगजीवनराम, अधिवक्ता निगरानीकार

2. श्री गोपाल लाल शर्मा, अधिवक्ता गैर निगरानीकार सं0 1 से 04

निर्णय   दिनांक 22.05.2024

1. संक्षिप्त विवरण निगरानी अन्तर्गत धारा–97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत, सैंथल द्वारा अप्रार्थी सं0 एक से 06 के पति/पिता के पक्ष में पट्टा दिनांक 21.10.1987 को जारी कर दिया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर निगरानीकार ने यह निगरानी पेश की गई है।
2. निगरानी दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अधीनस्थ ग्राम पंचायत सैंथल से बिन्दुवार तथ्यात्मक टिप्पणी मंगवाई गई।
3. सर्वप्रथम दफा 5 कानून मियाद के प्रार्थना पत्र पर अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। अधिवक्ता निगरानीकार ने बहस में दलील दी कि निगरानीकार को तथा–कथित पटटा मृतक देवाराम को जारी होने की बाबत जानकारी नहीं थी क्योंकि कभी भी देवाराम एवं उसके वारिसान ने प्रार्थिया के कब्जे में कभी दखलन्दाजी पैदा नहीं की बल्कि शांतिपूर्वक प्रार्थिया काबिज रहकर रिहायश कर उपयोग उपभोग में ले रही है। दिनांक 1.9.2022 को देवाराम के वारिसान अप्रार्थी सं0 1 से 6 मौके पर आये और बेदखल करने का प्रयास किया और कहा कि उक्त भूखंड का पट्टा हमारे पूर्वज देवाराम के नाम से है इसलिए भूखंड से बेदखल करने के प्रयास करने पर जानकारी हुई है। यह जानकारी दिनांक 1.9.2022 को होने पर ग्राम पंचायत

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:34:33 IST
Reason: SelfAttested

Devendra
जिला कलेक्टर दौसा

सैंथल में तलाश कर नकल का प्रा0पत्र पेश किया जिसकी नकल दिनांक 29.9.2022 को प्राप्त हुई। इसलिए जानकारी से निगरानी पेश की जा रही है। निगरानी पेश करने में हुई देरी को क्षमा फरमाते हुए अपील अंदर मियाद शुमार फरमाई जावे। अधिवक्ता रेस्पों0 सं0 1 से 4 की ने दफा 5 के प्रा0पत्र पर दलील दी कि निगरानीकार ने ग्राम पंचायत सैंथल से पट्टा व निर्णय दिनांक 21.10.1987 के विरूद्ध निगरानी वर्ष 2022 तके 35 वर्ष बाद प्रस्तुत की गई है। निगरानी विलंब से पेश किये जाने का कोई उचित व ठोस कारण नहीं दिया गया है। अतः निगरानी मियाद बाहर होने से मियाद के बिन्दु पर ही खारिज फरमाई जावे। अधिवक्ता उभयपक्ष की मियाद के बिन्दु पर बहस सुनी गई। प्रा0पत्र एवं शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा अपील जानकारी से अंदर मियाद पेश की गई है। अतः डिले कन्डोन किया जाकर अपील की सुनवाई किया जाना न्यायोचित है। अतः धारा 5 कानून मियाद स्वीकार किया जाता है।

3. तत्पश्चात मूल निगरानी पर बहस अधिवक्तागण सुनी गई।
4. अधिवक्ता निगरानीकार ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील दी कि ग्राम सैंथल की आबादी में प्रार्थिया का एक कब्जाशुदा भूखंड जिसकी पैमाईश 20 गुणा 50 कुल 111 वर्गगज है। प्रार्थिया का उक्त भूखंड पर दीर्घकालीन कब्जा अर्सा करीब 30 साल से भी ज्यादा समय से चला आ रहा है तथा प्रार्थिया ने उक्त भूखंड पर वर्ष 1995 में एक पुख्ता कमरा बनाया है और आगे लोहे की टीन शैड डाल रखी है तथा छप्पर बना हुआ है जिसमें प्रार्थिया परिवार सहित निवास करती चली आ रही है। उक्त भूखंड के चारों ओर चारदीवारी बनी हुई है व उत्तरी दिशा में लोहे का गेट लगा हुआ है। प्रार्थिया ने उक्त भूखंड व मकान में अपने नाम से विधुत व नल कनेक्शन ले रखा है जिनका बिल भी प्रार्थिया के नाम से आता है तथा उपयोग उपभोग की राशि प्रार्थिया अदा करती आ रही है तथा गेट के बाहर 3 छायादार पेड लगा रखे है तथा स्नानघर बना रखा है व पानी की टंकी रखी है तथा उत्तर दिशा की तरफ आने जाने के लिए लोहे का गेट लगा रखा है। इस प्रकार उक्त विवादित भूखंड के–5 पर दीर्घकालीन समय से कब्जा चला आ रहा है तथा वर्तमान में भी कब्जा है। मृतक देवाराम पुत्र भोलाराम ने चुपचाप में तत्कालीन सरपंच, ग्राम पंचायत सैंथल से साज करके अवैधानिक रूप से दिनांक 21.10.1987 को विवादित भूखंड का पट्टा अपने नाम से जारी करा लिया। प्रश्नगत भूखंड पर कभी भी मृतक देवाराम या उनके वारिसान का कभी कब्जा नहीं रहा और ना ही उनका उक्त भूखंड से कोई लेना देना रहा और ना ही प्रार्थिया के कब्जे में कभी भी देवाराम ने बाधा उत्पन्न की बल्कि प्रार्थिया दीर्घकालीन समय से यानि पट्टा जारी होने से पूर्व से ही कब्जा चला आ रहा है। देवाराम का स्वर्गवास हो चुका है अब दिनांक 1.9.2022 को देवाराम के वारिसान अप्रार्थी सं0 01 लगायत 06 मौके पर आये और बेदखल करने का प्रयास किया और कहा कि उक्त भूखंड का पट्टा हमारे पूर्वज देवाराम के नाम से है इसलिए [illegible] उक्त भूखंड से बेदखल करेंगे। अधीनस्थ ग्राम पंचायत सैंथल का पट्टा व [illegible] कानून, नियम, उपनियम व पत्रावली तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त [illegible] है। प्रश्नगत जारी पट्टा केवल मात्र सरपंच के द्वारा जारी किया गया है जबकि कानूनन व नियमानुसार पट्टे की कार्यवाही कोरम में प्रस्तुत की जाती है। इसके पश्चात ही सरपंच व सचिव द्वारा हस्ताक्षर कर पट्टा जारी किया जाता है। परन्तु अधीनस्थ ग्राम पंचायत सैंथल ने अवैधानिक तरीके से मिलीभगत कर पट्टा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत सैंथल

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:44:33 IST
Reason: SelfAttested

Devendra
जिला कलेक्टर, दौसा

ने पट्टा जारी करने से पूर्व न तो उज्रदारी पेश करने का नोटिस दिया और ना ही किसी को उज्रदारी पेश करने बाबत सूचना दी। जबकि कानूनन पट्टा जारी करने से पूर्व 1 माह का उज्रदारी पेश करने का नोटिस दिया जाना जरूरी है। ग्राम पंचायत सैंथल द्वारा नियम व कानून कायदों के विपरीत जाकर पट्टा जारी किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। पट्टा जारी करने से पूर्व न तो कोई वार्ड पंच या ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि द्वारा मौका देखा गया और ना ही कोई मौका रिपोर्ट दी गई। जबकि पट्टा जारी करने से पूर्व वार्डपंच की मौका रिपोर्ट लिया जाना अनिवार्य है। इसलिए भी तथाकथित पट्टा प्रथम दृष्ट्या ही खारिज किये जाने योग्य है। पट्टा जारी करने से पूर्व पंचायत के कोरम में कार्यवाही की जाती है व कोरम में ही पट्टे दिये जाने का अथवा नहीं दिये जाने का निर्णय होता है, परन्तु सरपंच द्वारा ना तो निर्णय के लिए पंचायत के कोरम में पेश किया और ना ही ऐसा कोई प्रस्ताव लिया। काननून ग्राम पंचायत के पट्टे के विरूद्ध निगरानी का क्षेत्राधिकार/श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय श्रीमान को है। उक्त कथन के समर्थन में अधिवक्ता निगरानीकार ने राज0 पंचायती राज अधिनियम 1994 पेज 87 की प्रति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर पट्टा व आदेश दिनांक 21.10.1987 ग्राम पंचायत सैंथल बहक मृतक देवाराम पुत्र भोलाराम महावर निवासी सैंथल मिसल नंबर 287 दिनांक 25.9.1972 निरस्त फरमाई जावे।

5. अधिवक्ता गैरनिगरानीकार सं0 1 से 04 ने बहस में दलील दी कि ग्राम पंचायत के निर्णय व पटटे के विरूद्ध विकास अधिकारी पंचायत समिति के यहॉ अपील करने का प्रावधान है किन्तु निगरानीकार कौशल्या ने अपील न करके निगरानी पेश की है जो प्रथम स्तर पर ही पोषणीय न होने के कारण खारिज योग्य है। विवादित भूखंड के संबंध में कौशल्यादेवी द्वारा एक वाद स्थाई निषेधाज्ञा व प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सिविल न्यायालय में प्रस्तुत किया था जिसमें प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का निस्तारण हो चुका है तथा वाद विचाराधीन है तथा गैरनिगरानीकार ने अपने जवाब दावे में ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये गये देवाराम के पट्टे का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है तथा विवादित भूखंड पर गैरनिगरानीकर्ता का व उसके पूर्वज देवाराम का कब्जा होना अंकित किया है एवं अभी सिविल न्यायालय में साक्ष्य के आधार पर उक्त भूखंड व पट्टे के स्वामित्व संबंधी विषयवस्तु का साक्ष्य के आधार पर मैरिट पर निर्णय करना है। ऐसी सूरत में जहॉ किसी विषयवस्तु व पट्टे के संबंध में सिविल न्यायालय में मामला विचाराधीन हो तो निगरानी में किसी प्रकार का निर्णय पारित नहीं किया जा सकता है। अतः निगरानीकर्ता कौशल्यादेवी की निगरानी खारिज योग्य है। सिविल न्यायालय को तमाम साक्ष्यों के आधार पर भूखंड के संबंध में मैरिट पर निर्णय करना है। ऐसी स्थिति में निगरानी में किसी प्रकार का कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। माननीय न्यायालय द्वारा ग्राम पंचायत सैंथल से जो टिप्पणी चाही गई थी उसमें ग्राम पंचायत सैंथल के द्वारा प्रेषित टिप्पणी में भी पट्टा मृतक देवाराम के नाम का उल्लेख किया गया है जिससे यह जाहिर होता है कि पट्टा देवाराम पुत्र भोलाराम महावर निवासी सैंथल के नाम से है तथा उसके स्वामित्व की भूमि है। विवादित भूखंड पर गैरनिगरानीकर्ता जो कि देवाराम के वारिस है उनका कब्जा पूर्वज देवाराम के समय से चला आ रहा है यानि लगभग 35 वर्ष से गैर निगरानीकर्तागण का कब्जा है तथा गैर निगरानीकर्ता उक्त भूखंड पर परिवार सहित रिहायश कर रही है। ऐसी स्थिति में निगरानीकर्ता की निगरानी असत्य, बेबुनियाद तथ्यों पर आधारित होने के कारण

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:34:33 IST
Reason: SelfAttested

Devendra
जिला कलेक्टर, दौसा

खारिज योग्य है। किसी भी पट्टे के विरूद्ध अपील का क्षेत्राधिकार विकास अधिकारी पंचायत समिति को है किन्तु कौशल्या ने अपील पेश न कर निगरानी पेश की है जो खारिज योग्य है। अधिवक्ता गैर निगरानीकार सं0 1 से 4 ने अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2018–19(supp.) पेज 125 की प्रति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाई जावे।

6. ग्राम पंचायत सैंथल से बिन्दुवार तथ्यात्मक टिप्पणी प्राप्त की गई जिसके अनुसार ग्राम पंचायत सैंथल में विवादित पट्टे की मिसल पत्रावली व कार्यवाही रजिस्टर ग्राम पंचायत सैंथल में उपलब्ध नहीं है। पट्टे के संबंध में रिकार्ड में रोकड बही के पृष्ठ सं0 11 पर 63 रूपये की नजराना राशि जमा कराई गई है। मिसल रजिस्टर व पट्टे की प्रति व नक्शा प्रति के उपलब्ध रिकार्ड में मृतक देवाराम महावर पुत्र भोलाराम निवासी सैंथल के नाम से जारी पट्टे का नाम दर्ज है। ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम के बुजुर्गों से जानकारी ली जाने पर पाया गया कि प्रार्थी ने ही उक्त भूखंड पर कमरे का निर्माण कराया गया है एवं लोहे की टीनशैड व छप्पर बनाकर प्रार्थिया का परिवार निवास कर रहा है। भूखंड के चारों ओर चारदीवारी बना रखी है एवं शौचालय का निर्माण करा रखा है तथा विधुत कनेक्शन भी करा रखा है। ग्राम पंचायत सैंथल द्वारा जो पट्टा जारी किया गया है उस पर मात्र सरपंच के हस्ताक्षर है। पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा 3 वार्ड पंचों की कमेटी के माध्यम से मौका निरीक्षण किया जाता है तथा कोरम रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही भूमि विक्रय का अस्थाई निर्णय लेते हुए एक माह का आपत्ति नोटिस जारी किया जाता है।तत्पश्चात कोरम में मिसल प्रस्तुत कर पट्टा जारी करने का संकल्प पारित किया जाता है

7. गैरनिगरानीकार सं0 5 व 6 के बाद तामील न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

8. हमने उपस्थित अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया।

9. दोनों अधिवक्ता की बहस के आधार पर हमारे समक्ष विवाद के निम्न बिन्दु है:–

1. पट्टा जिसे दिनांक 21.10.1987 को जारी किया गया है वह अवैधानिक रूप से जारी किया गया है।

2. उक्त पट्टे पर प्रार्थी या अप्रार्थी दोनों के द्वारा अपना कब्जा होना अंकित कियाहै।

3. निगरानरीकर्ता द्वारा प्रकरण में अपील पंचायत समिति के समक्ष न करके सीधे निगरानी पेश की है। अतः प्रकरण खारिज योग्य है।

4. प्रकरण सिविल न्यायालय में विचाराधीन है एवं उस पर निर्णय होने से पहले इस निगरानी में आदेश पारित नहीं किये जा सकते है।

10. उपरोक्त विवाद के बिन्दु पर निर्णय करने हेतु राज्य सरकार द्वारा पुनरीक्षण और पुनर्विलोकन की शक्ति के संबध में नियम इस प्रकार है:–

97 "(1) राज्य सरकार स्व प्रेरणा से या किसी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा आवेदन किये जाने पर किन्ही भी कार्यवाहियों के सम्बन्ध में पंचायती राज संस्था या उसकी किसी स्थायी समिति या उपसमिति का अभिलेख, पारित किसी भी विनिश्चय या आदेश के सही होने, उसकी वैधता या औचित्य के बारे में या ऐसी कार्यवाहियों की नियमितता के बारे में स्वयं का समाधान करने के लिए मंगवा सकेगी और उसकी परीक्षा कर सकेगी और यदि किसी भी मामले में राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि ऐसे किसी भी विनिश्चय या आदेश को उपांतरित या बातिल किया,

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:34:33 IST
Reason: Self Attested

Devendra
जिला कलेक्टर, दौसा

उलट दिया या पुनर्विचारार्थ विप्रेषित किया जाना चाहिए तो वह तदनुसार आदेश पारित कर सकेगी।"

11. निगरानीकर्ता के पास यह अधिकार है कि वह निगरानी पेश कर सकता है। अतः गैर निगरानीकर्ता के इस तर्क से कि निगरानीकर्ता द्वारा अपील न करके सीधे निगरानी की गई है, से हम सहमत नहीं है।

12. जहाँ तक प्रकरण सिविल न्यायालय में लंबित होने का बिन्दु है तो सिविल न्यायालय में चाहा गया अनुतोष बेदखली करने/न करने से संबंधित है एवं इस न्यायालय से चाहा गया अनुंतोष ग्राम पंचायत सैंथल के पक्ष में जारी पट्टा दिनांक 21.10.1987 को जारी किये गये पट्टे का आदेश को निरस्त करने या नहीं करने के संबंध में। अतः गैर निगरानीकर्ता के इस तर्क से सहमत नहीं हूँ कि सिविल न्यायालय में वाद के विचाराधीन रहते इस न्यायालय द्वारा प्रकरण का निस्तारण नहीं किया जा सकता।

13. जहाँ तक वर्तमान में उक्त पट्टे पर कब्जे के संबंध में बिन्दु के निर्णय की बात है, तो वह धारा 97 के तहत महत्वपूर्ण नहीं है।जिसके तहत 21.10.1987 के पट्टे व आदेश को चुनौती दी गई है। एवं तत्समय कब्जे के संबंध में निगरानीकर्ता एवं गैर निगरानीकर्ता दोनों के द्वारा कोई दस्तावेज पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किये गये है।

14. जहाँ तक 21.10.1987 को जारी किये गये पट्टे की वैधानिकता के संबंध में प्रश्न है तो इस बारे में हमारे समक्ष उक्त पट्टे की मिसल पत्रावली एवं कार्यवाही रजिस्टर रिकार्ड पर उपलब्ध नहीं है एवं कार्यालय ग्राम पंचायत सैथल की रिपोर्ट अनुसार उनके अभिलेख में भी उपलब्ध नहीं है। किन्तु उनके रिकार्ड में पट्टा संबंधी रोकड बही पृष्ठ सं0 11 पर 63 रू0 की नजराना राशि जमा होना, मिसल रजिस्टर व पट्टा वितरण रजिस्टर तथा पट्टे की प्रति व नक्शा प्रति रिकार्ड में उपलब्ध होना अंकित किया है जो कि मृतक देवाराम महावर पुत्र भोलाराम महावर निवासी सैंथल के नाम से जारी किया गया है। जहाँ यह सिद्ध होता है कि उक्त विवादित पट्टा जारी किया गया है किन्तु निगरानीकर्ता यह सिद्ध नही कर पाये हैं कि यह पट्टा गलत विधिक प्रकिया अपनाये जारी किया गया है। ऐसे में निगरानीकर्ता द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाना संभव नहीं है। हम निगरानीकारान द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज कियेजाने योग्य समझते है।

15. उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकारान द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

Devendra
(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर दौसा
जिला कलक्टर, दौसा

Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:34:33 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 22 मई, 2024 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में 30 दिवस के भीतर की जा सकेगी।

Devendra
(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर दौसा
जिला कलक्टर, दौसा